



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 7114/2007

(एकल पीठ/अन्य मामले)

याचिकाकर्ता:

अनुराग चंद्र साव, आयु लगभग 22 वर्ष, पिता श्री जसवंत सिंह साव, निवासी गली क्रमांक 3, शिक्षक नगर, दुर्ग (छ.ग.), पिन-491001

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

1. पं. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.), द्वारा कुलसचिव
2. श्री लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति, पं. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
3. प्राचार्य, छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुर्ग (छ.ग.)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रस्तुत याचिका

याचिकाकर्ता का विवरण :-

वाद-शीर्षक अनुसार



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर  
रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 7114/2007

याचिकाकर्ता: अनुराग चंद्र साव

विरुद्ध

उत्तरवादीगण: पं. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर और अन्य

आदेश हेतु प्रकरण दिनांक 04.03.2008 को सूचीबद्ध करें ।



सही/-  
धीरेन्द्र मिश्रा  
न्यायाधीश



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 7114/2007

याचिकाकर्ता:

अनुराग चंद्र साव, आयु लगभग 22 वर्ष, पिता श्री जसवंत सिंह साव, निवासी गली क्रमांक 3, शिक्षक नगर, दुर्ग (छ.ग.), पिन-491001

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

1. पं. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.), द्वारा कुलसचिव
2. श्री लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति, पं. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
3. प्राचार्य, छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुर्ग (छ.ग.)

उपस्थिति:

- श्री वी.जी. तामस्कर, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।
- श्री जितेन्द्र पाली, उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 2 के अधिवक्ता।
- श्री समीर बेहार, उत्तरवादी क्रमांक 3 के अधिवक्ता।

// आदेश //

(दिनांक 04.03.2008)

1. याचिकाकर्ता बी.ई. मैकेनिकल (रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग) के छात्र के रूप में अपना अध्ययन कर रहा था। उसने दिनांक अप्रैल 2007 में आयोजित 8वें सेमेस्टर की परीक्षा में भाग लिया। उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा दिनांक 15.06.2007 को परिणाम घोषित किए गए और याचिकाकर्ता को रेफ्रिजरेशन



एंड एयर कंडीशनिंग सिद्धांत सत्रांक में केवल 2 अंक दिए गए और उसे अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया।

2. याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर, संस्थान (उत्तरवादी क्रमांक 3) ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के अभिलेखों की जांच की और आंतरिक मूल्यांकन सत्रांक अंकों की जांच पर यह पाया गया कि याचिकाकर्ता को वास्तव में 22 अंक दिए गए थे। तथापि, विश्वविद्यालय को प्रस्तुत सूची में लिपिकीय/टंकण त्रुटि के कारण, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में सिद्धांत सत्रांक के विरुद्ध अंक '22' के स्थान पर '2' दर्शाए गए थे। इस तथ्य को विश्वविद्यालय के अधिकारियों के संज्ञान में उनके ज्ञापन दिनांक 20.06.2007 के माध्यम से लाया गया था।

संस्थान ने विश्वविद्यालय से याचिकाकर्ता के सत्रांक अंकों में आवश्यक सुधार करने के पश्चात उसका परिणाम घोषित करने का अनुरोध किया। विश्वविद्यालय के अधिकारियों के अनुरोध पर, वे मूल पत्रक जिनमें शिक्षक ने सत्रांक अंक दिए थे, विश्वविद्यालय को भेजे गए और इसके पश्चात, संस्थान के प्राचार्य ने विश्वविद्यालय के कुलसचिव को अपना स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त अंकों में हुई अनपेक्षित टंकण त्रुटि को स्वीकार किया गया। तथापि, विश्वविद्यालय ने अंक सूची में सुधार नहीं किया।

3. उत्तर में, उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 2 ने याचिका की विचारणीयता के विरुद्ध प्रारंभिक आपत्ति उठाई है और कहा है कि इंजीनियरिंग परीक्षा इस संबंध में



समय-समय पर जारी परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों, अधिसूचनाओं और परिपत्रों द्वारा विनियमित होती है। याचिका में इनके किसी उल्लंघन का उल्लेख नहीं है क्योंकि परीक्षा नियमों के अनुसार कड़ाई से संचालित की गई थी। छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुर्ग से संचार प्राप्त होने पर, उनसे कुछ प्रश्न किए गए थे, तथापि वे विश्वविद्यालय के प्रश्नों का समाधान नहीं कर सके और इसलिए, कार्य परिषद ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना के साथ-साथ उत्तरवादी क्रमांक 3 के स्पष्टीकरण और याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त सत्रांक अंकों के सुधार के अनुरोध को अस्वीकार करने का संकल्प लिया।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वी.जी. तामस्कर ने तर्क दिया कि विश्वविद्यालय अध्यादेश और परिनियम का अध्यादेश क्रमांक 28 विश्वविद्यालय की बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (पांच वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम) परीक्षाओं को विनियमित करता है। उपरोक्त अध्यादेश की कंडिका 12 (1) सत्रांक में न्यूनतम 60% उत्तीर्ण अंक निर्धारित करती है। कंडिका 13 यह परिकल्पना करती है कि यदि कोई अभ्यर्थी सत्रांक में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसे बी.ई. परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा। तथापि, याचिकाकर्ता को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई और उसे परिणाम घोषित होने के बाद ही पता चला कि वह सत्रांक अंकों में अनुत्तीर्ण हो गया है। अध्यादेश 28 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आंतरिक अंक (सत्रांक) संस्थान



द्वारा सिद्धांत और व्यावहारिक परीक्षा से पहले विश्वविद्यालय को भेजे जाने होते हैं। आंतरिक मूल्यांकन में छात्रों द्वारा प्राप्त सत्रांक अंक प्राप्त होने पर, विश्वविद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह उनकी जांच करे और उस छात्र को वंचित करे जिसने किसी भी विषय में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त नहीं किए हैं और वार्षिक परीक्षा शुरू होने से पहले इसे विधिवत अधिसूचित किया जाता है। यदि विश्वविद्यालय ने अध्यादेश 28 के अनुसार सिद्धांत और व्यावहारिक परीक्षा से पहले यह अभ्यास किया होता, तो अनपेक्षित लिपिकीय/टंकण त्रुटि उसी स्तर पर पकड़ में आ जाती। यह आगे तर्क दिया गया कि विश्वविद्यालय का अध्यादेश/परिनियम/नियम/विनियम विश्वविद्यालय को परिणाम घोषित होने के बाद संस्थान द्वारा आंतरिक अंक (सत्रांक) भेजने के दौरान अनपेक्षित रूप से हुई किसी लिपिकीय/टंकण त्रुटि को सुधारने से नहीं रोकता है।

5. समान प्रकरण रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 3/2007 (कु. अनुभूति गुप्ता विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य) में, छात्र द्वारा प्राप्त अंक भेजने में एक टंकण त्रुटि हुई थी और संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता की व्यावहारिक परीक्षा के विरुद्ध 18 के स्थान पर केवल 8 अंक भेजे गए थे और पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की ओर से दिए गए इस तर्क के आधार पर कि याचिकाकर्ता को दिए गए अंक विवादित नहीं हैं, उपरोक्त याचिका को इस टिप्पणी के साथ स्वीकार किया गया था कि यह स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता को



'इन्ट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग' विषय की व्यावहारिक परीक्षा में 18 अंक दिए गए हैं, जिसके आधार पर छठे सेमेस्टर का परिणाम दिनांक 25.11.2006 को घोषित परिणाम से भिन्न हो सकता है। बहस के दौरान उपरोक्त आदेश की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत की गई थी।

6. दूसरी ओर, उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा बाद में लिया गया यह रुख कि लिपिकीय/टंकण त्रुटि के कारण, आंतरिक अंक (सत्रांक) '22' के स्थान पर गलत तरीके से '2' भेजे गए थे, स्वीकार नहीं किया जा सकता। मामला कार्य परिषद के समक्ष रखा गया था और कार्य परिषद द्वारा याचिकाकर्ता की प्रार्थना या संस्थान के स्पष्टीकरण को स्वीकार न करने का निर्णय लिया गया क्योंकि संस्थान उनकी जिज्ञासा का समाधान नहीं कर सका। याचिकाकर्ता का कोई विधिक अधिकार नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया इंजीनियरिंग परीक्षाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों, विनियमों और अध्यादेशों के कड़ाई से अनुरूप है।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना है।

8. उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग परीक्षाओं पर लागू अध्यादेश 28 की कंडिका 13 स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है कि जो छात्र सत्रांक अंकों में विफल रहता है, उसे बी.ई. परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा। उपरोक्त



शर्त यह पूर्वकल्पना करती है कि आंतरिक मूल्यांकन अंक (सत्रांक) विश्वविद्यालय द्वारा सिद्धांत और व्यावहारिक परीक्षा आयोजित किए जाने से पहले प्राप्त कर लिए जाते हैं और यही उत्तरवादी क्रमांक 1 पर छात्र को परीक्षा में बैठने से वंचित करने का कर्तव्य आरोपित करता है। आश्चर्यजनक रूप से, उत्तरवादी क्रमांक 1 ने अपने उत्तर में अध्यादेश क्रमांक 28 का उल्लेख नहीं किया है और इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता सभी सिद्धांत पत्रों और व्यावहारिक परीक्षा में सम्मिलित हुआ।

9. उपरोक्त तथ्य के आलोक में, मुझे याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में बल मिलता है कि यदि यह तथ्य वार्षिक परीक्षा से पहले प्रकाश में आता, तो याचिकाकर्ता को सत्रांक अंक देने में हुई त्रुटि, यदि कोई थी, काफी पहले सुधारी जा सकती थी और तात्कालिक जटिलता उत्पन्न नहीं होती।

10. उत्तरवादी विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आर-1, 2-1 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि उत्तरवादी क्रमांक 3 के 8वें सेमेस्टर के सभी 19 छात्रों को रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के सिद्धांत सत्रांक में 30 में से 23 से अधिक अंक दिए गए थे, सिवाय याचिकाकर्ता के जिसे केवल 2 अंक दिए गए दिखाया गया है, जबकि अन्य विषयों के सिद्धांत और व्यावहारिक सत्रांकों में, मोटे तौर पर, याचिकाकर्ता सहित सभी छात्रों को समान अंक दिए गए हैं। उत्तरवादी क्रमांक 3 के इस रुख के प्रकाश में कि उपरोक्त त्रुटि वास्तव में लिपिकीय/टंकण



त्रुटि थी, याचिकाकर्ता का यह तर्क कि उसके द्वारा प्राप्त अंक उचित रूप से अभिलिखित नहीं किए गए थे, सही प्रतीत होता है। किसी भी स्थिति में, उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 2 के विद्वान अधिवक्ता परिनियम के तहत किसी भी ऐसे उपबंध की ओर संकेत नहीं कर सके जो विश्वविद्यालय को परिणाम घोषित होने के बाद सत्रांक अंकों में सुधार करने से रोकता हो। प्रदर्श पी-1 के परिणाम पत्रक के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सत्रांक अंकों को छोड़कर, याचिकाकर्ता ने 8वें सेमेस्टर की परीक्षा में अन्य सभी सिद्धांत और व्यावहारिक विषयों को उत्तीर्ण कर लिया है।

11. पूर्वोक्त कारणों से, यह ध्यान में रखते हुए कि उत्तरवादी क्रमांक 3-संस्थान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आंतरिक मूल्यांकन में, मैकेनिकल विभाग के शिक्षक ने याचिकाकर्ता को 22 अंक दिए थे और अनपेक्षित रूप से, विश्वविद्यालय को भेजी गई सूची में, लिपिकीय/टंकण त्रुटि के कारण, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के सिद्धांत सत्रांक विषय में '22' के स्थान पर '2' टंकित हो गया था, याचिका स्वीकार की जाती है और उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 2 को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 10 दिनों की अवधि के भीतर उपरोक्त विषय में याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त 22 अंकों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता का परिणाम प्रकाशित करें।

12. तथापि, वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।



सही/-  
धीरेन्द्र मिश्रा  
न्यायाधीश

====0000====

**(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)**

**अस्वीकरण:** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

